भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDI

8 JUN 2022

FV 560118

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

लीज अनुबन्ध

यह अनुबन्ध दिनांक 07—07—2022 को निष्पादित किया जाता है।

मध्य

श्री अनुपम कुमार तिवारी उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र श्री अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी निवासी स्टेशन रोड तुलसीपुर जिला बलरामपुर, प्रबन्धक तुलसीपुर पब्लिक स्कूल समिति स्टेशन रोड तुलसीपुर जिला बलरामपुर, जिन्हे लीज अनुबन्ध में प्रथम पक्ष से सम्बोधित किया गया है।

एवं

श्री अखिलेश प्रताप पुत्र श्री कृष्णकान्त मिश्र उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम करूवापारा, इटियाथोक जिला गोण्डा सचिव, माँ पाटेश्वरी एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित माँ पाटेश्वरी ग्रुप ऑफ इस्टीटयूशन ग्राम परसपुर कमदा जनपद बलरामपुर जिन्हे लीज अनुबन्ध में द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किया गया है।

जिसमें प्रथम पक्ष अपना एक व्यावसायिक परिसर (पूर्व में संचालित महेश कुँवरि रामदास डिग्री कालेज) जो कि ग्राम परसपुर कमदा, थाना हरैया, तहसील व जनपद बलरामपुर, के गाटा सं0 1466 में स्थित है को द्वितीय पक्ष को माँ पाटेश्वरी एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित माँ पाटेश्वरी ग्रुप ऑफ इस्टीटयूशन संस्था के संचालन हेतु 30 वर्षो के लिए निम्न शर्तो के आधार पर लीज पर दे रहा है।

1. यह कि भवन स्वामी (प्रथम पक्ष) अपने उपरोक्त वर्णित परिसर को आज दिनांक 07—07—2022 से अगले 30 (तीस वर्ष) वर्षो के लिए 16,00,000/= (सोलह लाख रू0) वार्षिक किराये पर दे रहा है। साथ ही प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद 2,50,000/= (दो लाख पचास हजार की बढ़ोतरी की जायगी।

2. आज दिनांक 07–07–2022 से पॉच वर्ष पूर्ण होने के बाद किराये में 2,50,000/= (दो लाख पचास हजार रू0) प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी की जायेगी अर्थात दिनांक 07–07–2027 से अगले पॉच वर्षो तक किराया 18,50,000/= (अठठारह लाख पचास हजार रू0) द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को देगा इसी प्रकार से प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद 2,50,000/= (दो लाख पचास हजार रू0) वार्षिक की बढोतरी लीज अनुबन्ध के समाप्त होने (30 वर्ष पूर्ण होने) तक की जायेगी।

3. दिनांक 07–07–2022 से दिनांक 06–07–2023 अर्थात प्रथम वर्ष का किराया पूर्णरूप से माफ रहेगा। दिनांक 07–07–2023 अर्थात दूसरे वर्ष से 16 लाख रू0 वार्षिक किराया देय होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष संस्था के नाम से वैध बिजली का कनेक्शन लेगा और बिजली के मीटर की रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल बिजली विभाग को समय से निर्धारित देय तिथि के अनुसार स्वयं करता रहेगा ।

5. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त परिसर की बाहरी व आंतरिक पेंट व मेन्टेनेन्स पर आने वाला खर्च स्वंय वहन करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त परिसर को अपनी संस्था के संचालन हेतु ही उपयोग में लेगा। किसी अन्य को किसी भी दशा में किराये पर नही देगा ।

7. यह कि यह लीज अनुबन्ध दिनांक 07–07–2022 से प्रारम्भ होकर 07–07–2052 (कुल 30 वर्ष) को समाप्त होगा ।

8. किन्ही कारणवश यदि दोनो पक्षो में सें कोई इस अनुबन्ध को निरस्त करना चाहता हो तो उसे 1 वर्ष पूर्व लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करना होगा।

<u>लीज अनुबन्धित परिसर की स्थिति–</u>

पूर्व	–	कृषिभूमि
पश्चिम	–	कृषिभूमि
उत्तर	–	पी0डब्लू0डी0 मेन रोड
दक्षिण	–	कृषिभूमि

निम्न गवाहो की उपस्थिति में उपरोक्त लीज अनुबन्ध निष्पादित हुआ जो कि दोनो पक्षो पर बाध्य होगा ।

प्रथम पक्ष (भवन स्वामी)

हस्ताक्षर :– Anupam

मो0 नं0 :– 9936077802

1– गवाह हस्ताक्षर :– अक्षय कुमार तिवारी

नाम :– अक्षय कुमार तिवारी

पिता का नाम :– अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी

पता :– स्टेशन रोड तुलसीपुर

द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

हस्ताक्षर :– Akhilesh Pratap

मो0 नं0 :– 9161934250

1– गवाह हस्ताक्षर :– Raju Tiwari

नाम :– राजू कुमार तिवारी

पिता का नाम :– राघवराम तिवारी

पता :– ग्रा० मनीपुर, सद्दिजना पो० चौधरीडीह जि० बलरामपुर

2055 100/- 07-7-22

नाम अनुपम कुमार तिवारी प्रबन्धक पी०सी० स्टेशन रोड तुलसीपुर देहात

नि० ग्राम तुलसीपुर (पाटेश्वरी) ... आवेदन पत्र

तहसील तुलसीपुर जिला-बलरामपुर

... स्टाम्प विक्रेता

अनुज्ञप्ति सं०- 24 T

तहसील तुलसीपुर जिला-बलरामपुर